छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–14 / रेरा / 2022 / 1277 रायपुर, दिनाँक 21 / 09 / 2022

/ /आदेश/ /

विषय :– छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन वापसी (De-registration) संबंधी मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण।

प्राधिकरण द्वारा बैठक दिनांक 14.09.2022 में यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स के पंजीयन वापसी के लिये प्रमोटर्स को निम्नानुसार मानक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करना अनिवार्य होगा :–

1. प्रमोटर द्वारा एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी (व्यापक रूप से पठित) समाचार पत्र में स्वयं के व्यय से विज्ञप्ति (08 सेमी X 10 सेमी) प्रकाशित करानी होगी कि –

> **<u>सार्वजनिक सूचना</u>**
>
> ''मैं प्रमोटर <Promoter Name> व्यक्तिगत कारणों से छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट <Project Name> पंजीयन क्रमांक <Project Registration No.> का सरेन्डर / कैन्सिलेशन / निरस्तीकरण करा रहा हूँ। किसी व्यक्ति / संस्था आदि द्वारा इस प्रोजेक्ट में यदि कोई बुकिंग करायी गई हो, तो कृपया अपना क्लेम / दावा प्रस्तुत करें। उक्त क्लेम / दावा का विवरण सहित 15 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ रेरा की ईमेल आईडी –registrar.rera.cg@gov.in पर भी भेजा जाए तथा क्लेम / दावा विवरण को रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा कार्यालय, शास्त्री चौक, रायपुर– 492001 को प्रेषित किया जाए।''
>
> <Promoter Name>
> <Promoter Email ID>

2. प्रमोटर द्वारा उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिनों के पश्चात् निम्नानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

शपथ पत्र का प्रारूप (प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अलग–अलग शपथ पत्र)

मैं <Promoter/Director/Partner Name> प्रमोटर / डायरेक्टर / पार्टनर <Promoter Name> छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट <Project Name> पंजीयन क्रमांक <Project Registration No.> के निरस्तीकरण हेतु शपथ पूर्वक यह बयान देता हूं कि :–

(i) समाचार पत्र में प्रकाशन संबंधित निर्देश कंडिका क्रमांक–1 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है, जिसकी मूल प्रतियां संलग्न की गयी है।

(ii) किसी व्यक्ति / संस्था आदि की कोई भी बुकिंग धनराशि या भुगतान, उस व्यक्ति / संस्था को नियमानुसार बुकिंग की शर्तों के अनुसार वापस कर दिया गया है। अब हमारे (प्रमोटर / रेरा पोर्टल) पर किसी भी संस्था / व्यक्ति का इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई भी भुगतान लंबित नहीं है।

(iii) प्रमोटर / स्वयं द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाओं की पूर्ण जिम्मेदारी ली जा रही है।

(iv) प्रमोटर (मेरे / हमारे) द्वारा यदि भविष्य में प्रोजेक्ट को पुनः प्रारंभ किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ रेरा में नियमानुसार पुनः रजिस्ट्रेशन कराने उपरांत ही प्रोजेक्ट में विकास / विक्रय का कार्य किया जायेगा।

(v) किसी भी स्तर पर शपथपत्र में कोई गलत सूचना पाये जाने पर प्रमोटर (हमारे) विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाए।

3. उक्त के अतिरिक्त प्रमोटर को यह भी उल्लेखित करना होगा कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के विरूद्ध प्राधिकरण या न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष कोई शिकायत विचाराधीन नहीं है और प्रमोटर ने छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन कर लिया है।

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा – 37 व 38 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रमोटर्स को उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा आदेशित)

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
21/1/2022
सचिव
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर, छत्तीसगढ़